संख्या-98/2022/1749/22-2-2022-17(1686)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023

विषय:- जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार, जो ग्राम सल्लिया, थाना-रौजा, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज मांग को लेकर दिनांक 23.07.2007 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-166/08 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट-05, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 03.02.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2021 तक 14 वर्ष, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 02 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट शाहजहॉपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक दिनांक 22.12.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मॉग को लेकर दिनांक 23.07.2007 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा सीमित एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनुज कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार (बन्दी संख्या-549/18) पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-98/2022/1749(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-98/2022/1749/22-2-2022-17(1686)/2022

दिनांक 15 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार, जो ग्राम सल्लिया, थाना-रौजा, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज मांग को लेकर दिनांक 23.07.2007 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-166/08 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट-05, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 03.02.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2021 तक 14 वर्ष, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 02 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट शाहजहॉपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक दिनांक 22.12.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मॉग को लेकर दिनांक 23.07.2007 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती कविता की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा सीमित एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनुज कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।